



फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

रामीदेवी बनाम शारदा

किस्म मुकदमा 23 उप. उक्त


नम्बर...298/2018


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.8.18	<p>अभिभाषक अपीलांट श्री राजेश बैद उपस्थित। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। जो तांबे मियांद पंजीबद्ध हो। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 30-10-1990 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। उक्त आदेश के माध्यम से अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि चक 8 जीएम के मुरब्बा नम्बर 14/19 में 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 6 के पति/पिता को किया गया है। जबकि उक्त भूमि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को जरिये आदेश दिनांक 14-03-2017 के माध्यम से की गई है। अपीलांट को आवंटित भूमि के आदेश के विरुद्ध रेस्पोडेन्ट्स द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है जो कि दर्ज रजिस्टर होकर बतौर अपील संख्या 325/17 जैरकार है तथा उक्त अपील में अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट रामीदेवी के आवंटन दिनांक 14-02-2017 को निरस्त करने की इस्तदुआ अपील के माध्यम से की गई है।</p> <p>दूसरी तरफ अपीलांट रामीदेवी द्वारा रेस्पोडेन्ट के आवंटन दिनांक 30-10-1990 को निरस्त करने की इस्तदुआ उक्त अपील के माध्यम से की गई है। इस प्रकार अपीलांट/रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी-अपनी अपीलों के माध्यम से एक-दूसरे के आवंटनों को निरस्त कराने हेतु अपीलें न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।</p> <p>चूंकि प्रकरण में वादगत् भूमि चक 8 जीएम के मुरब्बा नम्बर 14/19 के बाबत प्रस्तुत अपील संख्या 327/2017 बउनवानी शारदा देवी बनाम रामीदेवी में न्यायालय हाजा द्वारा दोनों आवंटन अर्थात अपीलांट/रेस्पोडेन्ट के आवंटनों को खारिज किया जा चुका है।</p>	



राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

ऐसी स्थिति में चूंकि न्यायालय हाजा द्वारा अपीलांट/रेस्पोंडेन्ट के आवंटन दिनांक 30-10-1990 व 14-03-2017 को खारिज किया जा चुका है। लिहाजा अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। अतः अपीलांट की अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। अपील फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफतर हो।




(डॉ० राकेश कुमार शर्मा)
सुप्रीम अपील अधिकारी
बंगलूर।